समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

माननीय प्रभारी मंत्री तथा प्रभारी सचिव, मधेपुरा द्वारा दिनांक 21-04-2015 की रात्रि में आए भीषण चक्रवाती तूफान / ओलावृष्टि, 21 अप्रैल, 2015 को आये चक्रवातीय तुफान/ ओलावृष्टि एवं 25-26 अप्रैल, 2015 को भूकम्प से हुई क्षति /अनुदान वितरण की समीक्षा हेतु दिनांक 27-04-2015 को आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री, बिहार सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में माननीय सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री रमेश ऋषिदेव, विधायक, सिंहेश्वर, अन्य विधायकगणों के प्रतिनिधि के साथ-साथ सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, जिले के सभी वरीय उप समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी एवं मधेपुरा जिले के प्रभारी सचिव, श्री राहुल सिंह उपस्थित थे।

कार्यवाही

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा 30 मार्च, 2015 को हुई ओलावृष्टि /21 अप्रैल, 2015 को आये चक्रवातीय तुफान/ ओलावृष्टि एवं 25-26 अप्रैल, 2015 को भूकम्प से हुई क्षति एवं राहत वितरण संबंधी प्रतिवेदन का पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण द्वारा सर्वप्रथम 09:15 बजे पूर्वा0 से प्रभारी सचिव, श्री राहुल सिंह एवं 10:00 बजे पूर्वा0 से माननीय मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगणों को अवगत कराया गया।

फसल क्षति

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च, 2015 में आयी ओलावृष्टि एवं तेज वर्षा के कारण इस जिले में कुल- 48,000 हे0 आच्छादित गेहूँ की फसल में से 30,578 हे0 तथा 35,000 हे0 आच्छादित मक्का में से 126 हे0 मक्का के क्षति होने का **प्राथमिक आकलन** किया गया है। दिनांक 21-04-2015 को आये चक्रवातीय तुफान में 11,130 हे0 मक्का की क्षति का आकलन है। इसी प्रकार जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा कुल 8,543 हे0 में आच्छादित उद्यानिक फसलों यथा- आम, लीची, केला, पपीता, खीरा, भिण्डी, सब्जी आदि के 50 प्रतिशत भाग में फसलों की क्षति हुई है। किसानवार सूची जिला कृषि

पदाधिकारी तथा जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अब तक नहीं दिया गया है। सर्वेक्षण जारी है।

प्रभारी सचिव द्वारा कहा गया कि 30 अप्रैल, 2015 की संध्या तक हरहालत में पंचायतवार किसानों की सूची वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर उपलब्ध करावें।

(अनुपालन–जिला कृषि पदा0 /जिला उद्यान पदा0/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा)

मानव क्षति

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि चक्रवातीय तुफान से मुरलीगंज प्रखण्ड में 05, बिहारीगंज में 01 तथा मधेपुरा में 01 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृतकों के परिजनों को चार लाख रू0 की दर से राशि का भुगतान कर दिया गया है। पुरैनी प्रखण्ड के बालाटोल ग्राम में एक 62 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से होने की सूचना मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गयी है। अंचलाधिकारी, पुरैनी द्वारा आज मृतक के परिजन को चार लाख रू0 का भुगतान कर दिया जाएगा। मुरलीगंज प्रखण्ड में 01 तथा मधेपुरा प्रखण्ड में 01 कुल–02 व्यक्ति घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे। दोनों व्यक्ति तीन से चार दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक सप्ताह से कम अवधि में भर्ती होने पर 4300 रू0 प्रति व्यक्ति की दर से देने का प्रावधान है। तदनुरूप अंचलाधिकारी को संबंधित घायलों को राशि देने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन–सभी अंचलाधिकारी /अनु0पदा0, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)

पशु क्षति

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पशु क्षति में मुरलीगंज प्रखण्ड में 04 बकरी तथा 01 भैंस के बछड़ा के मरने की सूचना एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अंचलाधिकारी, मुरलीगंज को पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध करा दिये जाने की सूचना दी गयी है। अंचलाधिकारी को अविलम्ब 3,000 रू0 प्रति बकरी /बछड़ा की राहत राशि देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी अंचलाधिकारी /जिला पशुपालन पदाधिकारी /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)

गृह क्षति

गृह क्षति के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुरलीगंज प्रखण्ड में अब तक 02 कच्चा मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुए हैं। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चा मकानों की संख्या मधेपुरा–85, घैलाढ़–116, मुरलीगंज–1860, बिहारीगंज–08, चौसा–65 है। क्षतिग्रस्त झोपड़ी मधेपुरा–342, घैलाढ़–4, मुरलीगंज–894, उदाकिशुनगंज–25,

ग्वालपाड़ा-29, बिहारीगंज-2122, चौसा-17 कुल-3433 है। क्षतिग्रस्त पशु शेड मधेपुरा-42, मुरलीगंज-1010 है। अब तक बर्बाद झोपड़ी के लिए 8.856 लाख रू0 क्षतिग्रस्त झोपड़ी के लिए, पशु शेड के लिए 73500 रू0 नकद अनुदान 1.82 लाख, वस्त्र अनुदान 1.638 लाख, बर्तन अनुदान 1.82 लाख तथा 70 क्वीं0 खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। मुरलीगंज प्रखण्ड में कल दिन में 500 व्यक्तियों का चेक बनकर तैयार था, परन्तु प्रखण्ड में धरना प्रदर्शन के कारण वितरित नहीं किया जा सका।

(अनुपालन-सभी अंचलाधिकारी /सभी अनु0पदा0/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)

विद्युत वितरण व्यवस्था में हुई क्षति

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा ने चक्रवातीय तूफान से हुई क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है, जिसके अनुसार पी0एस0सी0 पोल-226, वीसल कन्डक्टर-18.5 कि0मी0, रेबिट कन्डक्टर-17 कि0मी0, ट्रांसफार्मर-04, डी0पी0 सेट लाईन-11, इनसुलेटर पिन-122 आदि में कुल-23,10,665 रू0 की क्षति आकलित की गयी है।

प्रभारी मंत्री द्वारा सहायक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि क्षति से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन से विभाग को भी अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा)

भूकम्प

दिनांक 25 एवं 26 अप्रैल, 2015 को आये भूकम्प से किसी के भी मरने की सूचना अधिकारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है।

सुझाव

इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किया गया। श्री रमेश ऋषिदेव, माननीय विधायक, सिंहेश्वर द्वारा घर क्षति से कितनी राशि मिलेगी, इसका ब्यौरा जानना चाहा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी प्रकार की राहत राशि से संबंधित दिशा-निर्देश की छायाप्रति सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को फोल्डर में उपलब्ध करा दी गयी है। श्री जयप्रकाश सिंह द्वारा बताया गया कि 17 मार्च, 2015 को ओलावृष्टि के कारण पुरैनी प्रखण्ड के फेकरारही तथा आलमनगर के 06 पंचायतों में गेहूं की फसल में नुकसान हुआ है। गेहूं में दाना नहीं हो पाया है। उन्हें जानकारी दी गयी कि प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति में ही राहत राशि देने का प्रावधान है। माननीय विधायक, बिहारीगंज के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बिहारीगंज प्रखण्ड में पॉलीथीन शीट्स मुखिया को दे दिया गया है, जो अपने व्यक्तियों को उपलब्ध कराते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। सांसद महोदय

द्वारा कहा गया कि भारत सरकार आपदा प्रंबधन द्वारा राशि मुहैया कराती है। दिशा-निर्देश भी भारत सरकार का है कि राहत राशि किन्हें मिलना चाहिए। चयन करने वाले लोग सरकारी कर्मी हैं। यदि इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया, वार्ड सदस्य इत्यादि का भी साथ हो, तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार की मंशा आपदा की स्थिति में पीड़ितों को तत्काल सभी सुख-सुविधा मुहैया कराना है। सरकारी पदाधिकारी केवल गाईड लाईन एवं दिशा-निर्देश की बात करते हैं। जिन इलाकों से पूरा तुफान गुजरा है, कोल्हायपट्टी, रजनी आदि वहां कोई भी परिवार तुफान से बिना प्रभावित हुए नहीं रहा है। अधिकांश लोगों का घर एक या दो कमरे का ही है, जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे में आंशिक क्षतिग्रस्त या पशु शेड मानकर किसी घर को सर्वे में शामिल करना एवं किसी घर को छोड़ देना यह उचित नहीं है। उनका कहना था कि इस क्षेत्र में मात्र 2 से 5 प्रतिशत पक्का मकान है, चयन में सरकार जो भी चाहती है, आंशिक, पूर्ण, कच्चा, पक्का वह हो पर किसी भी घर को छोड़ा नहीं जा सकता। घर क्षतिपूर्ति एक सप्ताह के अन्दर तथा फसल क्षतिपूर्ति 15 दिन के अंदर दिया जाए एवं 5800 रू0, पॉलीथीन शीट्स, एक क्वीं0 खाद्यान्न अविलम्ब दिया जाए। किसान सलाहकार, पंचायत सलाहकार जिस पंचायत के हैं, उसी पंचायत में सर्वे कार्य में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं हो, वे लोग राशि की मांग कर रहे हैं। अधिकाधिक लोगों को लाभ दिया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राहत कार्यो के वितरण में पारदर्शिता हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1388 दिनांक 24-07-2004 द्वारा अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि सभी प्रकार के राहत राशि का भुगतान विभागीय गाईडलाईन के अनुसार सुयोग्य लाभुकों को या तो RTGS/ NEFT के माध्यम से अथवा Account Payee Cheque के माध्यम से दिया जाना है। सभी सुयोग्य लाभुकों का बैंक एड्वाईस जिला /प्रखंड के वेबसाईट /अंचल के सुचनापट्ट पर भी प्रकाशित किया जायेगा। सर्वे कार्य के लिए प्रत्येक पंचायत में टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। पंचायत स्तरीय टीम द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के क्रॉस जाँच हेतु प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रखंडों के लिए एक वरीय उपसमाहर्त्ता को भी क्रॉस जाँच का जबाबदेही दी गई है। इसके साथ-साथ संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन द्वारा राहत वितरण कार्य का अनुश्रवण किया जा रहा है। फसल क्षति के मामलों में भी क्रॉस जाँच की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। किसान सलाहकार द्वारा पंचायतवार सर्वेक्षण करने के उपरांत अंचल अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ अंचल निरीक्षक /राजस्व कर्मचारी द्वारा क्रॉस सत्यापन किया जायेगा। पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इसका सत्यापन करते हुए पारदर्शिता के साथ भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन-सभी अंचलाधिकारी /सभी अनु0पदा0/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)

प्रभारी सचिव द्वारा दिया गया निदेश

➢ प्रभारी सचिव द्वारा इसके पूर्व उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि सर्वे के कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिए। राहत राशि केवल वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को ही दिया जाए। यदि राहत राशि देने में निष्पक्षता नहीं रखी जाएगी, तो इससे लोगों में असंतोष बढ़ेगा।

➢ जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित करते हुए प्रभारी सचिव द्वारा कहा गया कि 30 अप्रैल, 2015 तक हरहालत में मार्च, 2015 में हुई ओलावृष्टि तथा चक्रवातीय तुफान से बर्बाद गेहँ / मक्का/ उद्यानिक फसल लगाने वाले किसानों का सर्वेक्षण सूची की एक प्रति जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दें, ताकि इसे वेबसाईट पर अपलोड किया जा सके। किसानों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाना है तथा बैंक से परामर्श कर यह सुविधा दिया जाए कि खाते में राशि जाते ही किसानों को एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना प्राप्त हो सके।

➢ सिविल सर्जन, मधेपुरा को यह निर्देश दिया गया कि भूकम्प की स्थिति में हुई मौत के संबंध में मृत्यु का कारण के साथ-साथ तारीख एवं समय का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायें, ताकि अनुग्रह अनुदान की राशि मृतकों को दी जा सके।

➢ सभी अंचलाधिकारी को यह निदेशित किया गया कि गृह क्षति के मामलें में व्यक्ति का घर के साथ फोटोग्राफ अवश्य अभिलेख में संकलित करें।

Fully Vouched बिल से ही राशि निकालें, का निदेश सभी अंचलाधिकारियों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। विभाग द्वारा CTMIS से निकासी की प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जा रहा है।

➢ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जितने भी गृह क्षति के मामले प्रतिवेदित होते हैं, उतने पॉलीथीन शीट्स अंचलवार उपलब्ध करा दिया जाए, यदि कम है, तो आज ही भेंडर को आदेश दे दिया जाए।

(अनुपालन-सभी अंचलाधिकारी /अनु0पदा0, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज /जिला कृषि पदाधिकारी /जिला उद्यान पदा0 /सभी संबंधित पदाधिकारी /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)

प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया निदेश

अन्त में प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा कहा गया कि राहत वितरण के कार्य में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, यदि कहीं से भी किसी प्रकार की शिकायत आती है, तो वरीय पदाधिकारी को स्वयं उसका निवारण करना चाहिए। किसी पंचायत की सर्वे टीम में वैसे कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए, जिनका पदस्थापन उस पंचायत में नहीं है। अथवा क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। गलत करने वाले पदाधिकारी /कर्मी बख्शे नहीं जायेंगे। कोई भी

पीड़ित परिवार छुटे नहीं, यह ध्यान रखा जाए। सभी कर्मियों को मानवता को ध्यान में रख कर पीड़ित लोगों की सेवा करनी चाहिए। जिलाधिकारी कुछ पंचायतों में जाकर वितरण कार्य का स्वयं अनुश्रवण करें। अगली बैठक मई माह के प्रथम सप्ताह में ही बुलाये जाने की बात बतायी गयी।

(अनुपालन–सभी अंचलाधिकारी /अनु0पदा0, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज /जिला कृषि पदाधिकारी /जिला उद्यान पदाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28/04/15

28/4/15 अपर समाहर्त्ता
आपदा प्रबंधन, मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1188 /आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक 28.4.15

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / जिले के सभी वरीय उप समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा/ उप विकास आयुक्त, मधेपुरा / सिविल सर्जन, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला कृषि पदाधिकारी /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा /प्रभारी सचिव, मधेपुरा जिला /प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

28/04/15

28/4/15 अपर समाहर्त्ता
आपदा प्रबंधन, मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1188 /आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक 28.4.15

प्रतिलिपि : माननीय प्रभारी मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री, बिहार सरकार के आप्त सचिव /माननीय सांसद (लोकसभा), मधेपुरा श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव/ श्री रमेश ऋषिदेव, माननीय विधायक, सिंहेश्वर/ सभी माननीय विधायकगणों /विधान पार्षदों को सूचनार्थ अग्रसारित।

28/04/15

28/4/15 अपर समाहर्त्ता
आपदा प्रबंधन, मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

पीड़ित परिवार छुटे नहीं, यह ध्यान रखा जाए। सभी कर्मियों को मानवता को ध्यान में रख कर पीड़ित लोगों की सेवा करनी चाहिए। जिलाधिकारी कुछ पंचायतों में जाकर वितरण कार्य का स्वयं अनुश्रवण करें। अगली बैठक मई माह के प्रथम सप्ताह में ही बुलाये जाने की बात बतायी गयी।

(अनुपालन–सभी अंचलाधिकारी /अनु0पदा0, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज /जिला कृषि पदाधिकारी /जिला उद्यान पदाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक................../आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक..................

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / जिले के सभी वरीय उप समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा/ उप विकास आयुक्त, मधेपुरा / सिविल सर्जन, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला कृषि पदाधिकारी /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा /प्रभारी सचिव, मधेपुरा जिला /प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक......1188../आ0प्र0/21 मधेपुरा, दिनांक.....28/4/15

प्रतिलिपि : माननीय प्रभारी मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री, बिहार सरकार के आप्त सचिव /माननीय सांसद (लोकसभा), मधेपुरा श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव/ श्री रमेश ऋषिदेव, माननीय विधायक, सिंहेश्वर/ सभी माननीय विधायकगणों /विधान पार्षदों को सूचनार्थ अग्रसारित।

28/04/15
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

पीड़ित परिवार छुटे नहीं, यह ध्यान रखा जाए। सभी कर्मियों को मानवता को ध्यान में रख कर पीड़ित लोगों की सेवा करनी चाहिए। जिलाधिकारी कुछ पंचायतों में जाकर वितरण कार्य का स्वयं अनुश्रवण करें। अगली बैठक मई माह के प्रथम सप्ताह में ही बुलाये जाने की बात बतायी गयी।

(अनुपालन–सभी अंचलाधिकारी /अनु0पदा0, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज /जिला कृषि पदाधिकारी /जिला उद्यान पदाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक....1188..../आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक......28/4/15

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / जिले के सभी वरीय उप समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा/ उप विकास आयुक्त, मधेपुरा / सिविल सर्जन, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला कृषि पदाधिकारी /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा /प्रभारी सचिव, मधेपुरा जिला /प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

28/04/15
जिलाधिकारी
मधेपुरा।